

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) के इनपुट

मद 4(1)(ख)-(XIII): इसके द्वारा प्रदान की गई रियायतों, परमितों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।

भारत सरकार ने 29 फरवरी, 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य सोलर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय परिवारों को अपनी बिजली स्वयं बनाने के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना का कुल परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये (65,700 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता सहित) है, और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। इस योजना को दिनांक 16 मार्च, 2024 को आदेश संख्या 318/17/2024-ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप के माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के कार्यान्वयन की अवधि 31 मार्च, 2027 तक होगी।

इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ आवासीय घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है, जिससे प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त/ कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इसका लक्ष्य स्थापित क्षमता से 1,000 अरब यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन करना है, जिससे इन रूफटॉप सौर परियोजनाओं के 25 वर्ष के जीवनकाल में कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य उत्सर्जन में 720 मिलियन टन की कमी आने की उम्मीद है। यह पहल 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में 30 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखकर, यूएनएफसीसीसी के तहत भारत की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का समर्थन करती है।

यह योजना पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें 2 केडब्ल्यूपी की बेंचमार्क लागत का 60 प्रतिशत और अतिरिक्त केडब्ल्यूपी की बेंचमार्क लागत का 40 प्रतिशत शामिल है और इसकी सीमा 3 केडब्ल्यूपी तक तय की गई है।

आवासीय खंड का प्रकार	केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)	सीएफए (विशेष श्रेणी के राज्य)
आवासीय क्षेत्र (आरटीएस क्षमता के पहले 2 केडब्ल्यूपी या उसका कोई भाग)	30,000 रु./केडब्ल्यूपी	33,000 रु./केडब्ल्यूपी
आवासीय क्षेत्र (1 केडब्ल्यूपी या उसके किसी भाग की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ)	18,000 रु./केडब्ल्यूपी	19,800 रु./केडब्ल्यूपी
आवासीय क्षेत्र (3 केडब्ल्यूपी से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं
ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/आवासीय कल्याण संघ (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) आदि, सामान्य सुविधाओं के लिए, जिसमें 500 केडब्ल्यूपी तक की ईवी चार्जिंग (3 केडब्ल्यूपी की दर से प्रति घर) शामिल है।	18,000 रु./केडब्ल्यूपी	19,800 रु./केडब्ल्यूपी